वेतन से आय-सेवानिवृत्ति लाभ (Income from Salaries-Retirement Benefits

कर निर्धारण वर्ष 2021-22

By

Dr. Ravi Agarwal

Assistant Professor

Department of Commerce

Maharana Prtap Government PG College, Hardoi

सेवानिवृत्ति लाभ से आशय
Meaning of Retirement Benefits

- किसी कर्मचारी अथवा उसके उत्तराधिकारी को सेवा से अवकाश ग्रहण, मृत्यु, सेवा-मुक्ति या छंटनी के समय नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले विशेष भुगतान वेतन शीर्षक में सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में शामिल किए जाते हैं।

सेवानिवृत्ति लाभ के प्रकार
Kinds of Retirement Benefits

- ग्रेच्युइटी (Gratuity)
- मासिक पेंशन
- पेंशन की एकमुश्त राशि
- छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति
- स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति
- भविष्य निधि से प्राप्त राशि

By- Dr. Ravi Agarwal

ग्रेच्युइटी (Gratuity) [Sec 10(10)]

- किसी कर्मचारी को मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर पूर्व सेवा के प्रतिफल में नियोक्ता से प्राप्त होने वाली धनराशि ग्रेच्युइटी कहलाती है।
- यदि किसी कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान ग्रेच्युइटी प्राप्त होती है तो यह पूर्णतः कर योग्य होती है।

ग्रेच्युइटी-सरकारी कर्मचारी की दशा में

- मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर प्राप्त ग्रेच्युइटी सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर-मुक्त है।
- सरकारी कर्मचारी में ग्रेच्युइटी प्राप्त होने की दशा में केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सत्ता के कर्मचारी शामिल ही शामिल होते हैं।

ग्रेच्युइटी (Gratuity)
गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में

- (i) ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी।
- (ii) ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारी।

By- Dr. Ravi Agarwal

ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी-

- ग्रेच्युइटी निम्नलिखित में से सबसे कम राशि तक कर मुक्त होगी-

(a) वास्तविक प्राप्त राशि

(b) अधिकतम सीमा ₹20,00,000

(c) अंतिम माह का वेतन×15/26× सेवा के पूर्ण वर्ष

ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी-

- वेतन से आशय = मूल वेतन + महंगाई भत्ता **(सेवा की शर्तों में शामिल हो या नहीं)**
- सेवा के पूर्ण वर्ष में 6 माह से अधिक की अवधि को पूर्ण वर्ष माना जाएगा।

ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारी-

- ग्रेच्युइटी निम्नलिखित में सबसे कम राशि तक कर मुक्त होगी-

(a) वास्तविक प्राप्त राशि

(b) अधिकतम सीमा ₹20,00000

(c) अंतिम 10 माह का औसत वेतन×1/2× सेवाकाल

ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारी-

- वेतन से आशय = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा की शर्त में) + बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन
- सेवाकाल में केवल पूर्ण वर्ष लिए जाएंगे माह को छोड़ दिया जाएगा।

एक से अधिक नियोक्ताओं से प्राप्त ग्रेच्युइटी

- यदि कर्मचारी गत वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से ग्रेच्युइटी प्राप्त करता है तो कर से छूट की राशि अधिकतम सीमा ₹20,00,000 तक ही होगी।

गत वर्ष से पूर्व के किसी वर्ष में प्राप्त ग्रेच्युइटी

- यदि कर्मचारी को किसी पूर्व नियोक्ता से गत वर्ष से पूर्व में ग्रेच्युइटी प्राप्त हुई है और उस पर आय-कर की छूट भी प्राप्त हो चुकी है तो गत वर्ष में पुन: ग्रेच्युइटी प्राप्त होने पर अधिकतम सीमा ₹20,00,000 में से पूर्व में कर-मुक्त ग्रेच्युइटी घटाकर शेष राशि तक ही छूट प्राप्त होगी।

कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात ग्रेच्युइटी प्राप्त होना

- यदि ग्रेच्युइटी मृत्यु से पूर्व देय हो चुकी है तो यह कर-योग्य होती है।
- यदि ग्रेच्युइटी कर्मचारी की मृत्यु के बाद देय होती है तो यह कर-मुक्त होती है।

पेंशन (Pension)

- सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्राप्त होने वाला नियमित आवधिक (regular periodical) भुगतान पेंशन कहलाता है।
- पेंशन की नियमित प्राप्त राशि वेतन शीर्षक में सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णत: कर- योग्य होती है।

पेंशन (Pension)

- यदि करदाता सेवानिवृत्ति के पश्चात विदेश में रहने लगता है और भारतीय नियोक्ता से पेंशन प्राप्त करता है तो ऐसी पेंशन भारत में उपार्जित मानते हुए (निवासी व अनिवासी) पूर्णतः कर-योग्य होगी।
- कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त मासिक पेंशन वेतन शीर्षक में कर-योग्य नहीं होती है। यह 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य होगी।

पेंशन की एकमुश्त राशि (Commuted Pension)

- यदि कोई कर्मचारी प्रतिमाह पेंशन का कुछ भाग एक साथ प्राप्त करना चाहता है और शेष भाग प्रतिमाह पेंशन की तरह प्राप्त करना चाहता है तो जो राशि एकसाथ प्राप्त करता है (पेंशन के बदले में) उसे पेंशन की एक-मुश्त राशि कहते हैं।

पेंशन की एकमुश्त राशि
(Commuted Pension)

- इस संबंध में आयकर की छूट संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है-
- सरकारी कर्मचारी की दशा में पेंशन की एकमुश्त राशि पूर्णतः कर मुक्त है।
- राज्य एवं केंद्र सरकार, स्थानीय सत्ता व वैधानिक निगम के कर्मचारी इस संबंध में सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं।

पेंशन की एकमुश्त राशि
(Commuted Pension)

- **गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में-**

(a) यदि कर्मचारी को ग्रेच्युइटी भी प्राप्त होती है तो कुल पेंशन के एक तिहाई भाग तक एकमुश्त पेंशन की राशि कर मुक्त होगी।

(b) यदि गैर सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युइटी नहीं प्राप्त करता है, तो कुल पेंशन के आधे भाग तक एकमुश्त पेंशन की राशि कर मुक्त होगी।

By- Dr. Ravi Agarwal

अर्जित अवकाश वेतन
(Earned Leave Salary)

- प्रत्येक कर्मचारी को सेवा शर्तों के अंतर्गत प्रति वर्ष कुछ अवकाश (छुट्टियां) वेतन सहित प्राप्त होता है।
- यह अवकाश प्रति वर्ष लिया जा सकता है या इसे कर्मचारी द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी द्वारा अर्जित अवकाश बाद में लिया जा सकता है या इसके बदले में राशि प्राप्त की जा सकती है।

अर्जित अवकाश वेतन
(Earned Leave Salary)

- जब कोई कर्मचारी अपने अर्जित अवकाश का नगदीकरण (encashment) करता है तो इसे अर्जित अवकाश वेतन कहा जाता है।
- सेवा में रहते हुए अर्जित अवकाश के बदले में प्राप्त समस्त राशि वेतन से आय शीर्षक में पूर्णतः कर-योग्य होती है।

By- Dr. Ravi Agarwal

सेवानिवृत्ति या त्याग-पत्र देने पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण

- किसी मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी को अर्जित अवकाश के बदले जो नकद राशि प्राप्त होती है वह कर-मुक्त होती है।
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी की दशा में सेवानिवृत्ति या त्याग-पत्र देने पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण की राशि पूर्णतः कर मुक्त होती है।

सेवानिवृत्ति या त्याग-पत्र देने पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण

- गैर-सरकारी कर्मचारी (स्थानीय सत्ता व सार्वजनिक उपक्रमों व विदेशी सरकार के कर्मचारियों सहित) की दशा में अग्रलिखित में सबसे कम राशि तक अर्जित अवकाश वेतन कर-मुक्त होगा-

सेवानिवृत्ति या त्याग-पत्र देने पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण

(i) वास्तविक प्राप्त राशि

(ii) अधिकतम सीमा ₹3,00,000

(iii) अंतिम 10 माह का औसत वेतन ×10

(iv) अंतिम 10 माह का औसत वेतन × मान्य अवधि

वेतन= मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्त के अधीन) + बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन

सेवानिवृत्ति या त्याग-पत्र देने पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण

- **मान्य अवधि** = सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन प्रतिवर्ष (सेवाकाल में केवल पूर्ण वर्ष लेंगे)
- यदि गत वर्ष में कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ताओं से अर्जित अवकाश का नकदीकरण करता है, तो कर मुक्त अधिकतम सीमा ₹3,00,000 तक ही रहेगी।
- यदि कर्मचारी गत वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में यह सुविधा प्राप्त कर चुका है या बाद में किसी अन्य नियोक्ता से प्राप्त करनी है तो भी कर-मुक्त अधिकतम सीमा ₹3,00,000 ही रहेगी।

छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति
(Retrenchment Compensation)

- नियोक्ता द्वारा सेवा का अनुबंध समाप्त करना छंटनी कहलाता है।
- यदि छंटनी के समय क्षतिपूर्ति केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अंतर्गत भुगतान की जाती है तो यह कर-मुक्त होती है।

छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति
(Retrenchment Compensation)

- किसी अन्य योजना या कारण से छंटनी के समय कर्मचारी को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि अग्रलिखित में से सबसे कम राशि तक कर-मुक्त होगी-

(i) वास्तविक प्राप्त राशि

(ii) अधिकतम सीमा ₹5,00,000

(iii) अंतिम 3 माह का औसत वेतन ×1/2× सेवाकाल

छंटनी के कारण क्षतिपूर्ति
(Retrenchment Compensation)

- वेतन से आशय = मूल वेतन + सभी कर योग्य भत्ते (महंगाई भत्ता सहित) + अनुलाभ का मूल्य + LTC + कोई भी नकद भुगतान (बोनस, भविष्य निधि में अंशदान व ग्रेच्युइटी शामिल नहीं)
- सेवाकाल में 6 माह से अधिक के समय को पूर्ण वर्ष माना जाएगा।

स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति (Compensation on Voluntary Retirement)

- यदि कोई कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से क्षतिपूर्ति के बदले सेवा कार्य से अवकाश प्राप्त करता है तो इसे स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कहते हैं।
- क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि अग्रलिखित में सबसे कम राशि तक कर मुक्त होगी-

स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति
(Compensation on Voluntary Retirement)

(i) वास्तविक प्राप्त राशि

(ii) अधिकतम सीमा ₹5,00,000

(iii) अंतिम माह का वेतन × 3 × सेवाकाल

(iv) अंतिम माह का वेतन × सेवाकाल के शेष माह

- वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों के अंतर्गत) + बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन।
- सेवाकाल में केवल पूर्ण वर्ष लिया जाएगा।

By- Dr. Ravi Agarwal

भविष्य निधि से प्राप्त राशि

(Amount received from Provident Fund)

- वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त समस्त राशि पूर्णत: कर मुक्त है।
- प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त समस्त राशि पाँच वर्ष की सेवा के पश्चात पूर्णत: कर मुक्त है।

भविष्य निधि से प्राप्त राशि

(Amount received from Provident Fund)

- **अप्रमाणित भविष्य निधि में-**
- नियोक्ता का अंशदान तथा इस पर ब्याज 'वेतन' शीर्षक में कर योग्य है।
- कर्मचारी का अंशदान कर मुक्त होता है।
- कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज' अन्य साधनों से आय ' शीर्षक में कर- योग्य होता है।

By- Dr. Ravi Agarwal

Thank You !!

Please send your suggestions and queries at

09451176185